

NOC

कागजलय निदेशक पाठ्यग्रन्थ 1989 संस्कृता वीकानेर  
 क्रमांक : शिविरा / मा. / माध्यमिक / अ-१ / कैमाशिला / ०८-०९ तिथि 28-6-2008

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
 शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र  
 छिंत विहार, दिल्ली-1100092

विषय — केन्द्रीय पाठ्यमिक शिक्षा बोर्ड/आईईएसई से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु  
 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बद्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के पात्रांक प-14-8 शिक्षा-7/99 पार्ट-11 जयपुर दिनांक 28.06.08 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के समुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकती।

क्र. सं	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1.	लिटिल फ्लोवर स्कूल, शेखावाटी कॉलोनी, चूरू	CBSE	2008-09	अंग्रेजी
2.	गुरुकुल बी.एल. मेहता लर्निंग संस्थान, नोपासर, CBSE गुसाइसर रोड सीधल, बीकानेर		2008-09	अंग्रेजी
3.	लोर्ड कृष्णा सेकण्डरी स्कूल, गोकुल कॉलोनी, CBSE तलवण्डी, कोटा		2008-09	अंग्रेजी
4.	गुड शोफर्ड कान्चेट स्कूल, उप्रावि, नया बास, CBSE सुजानगढ़, चूरू		2008-09	अंग्रेजी

उप निदेशक (माध्यमिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजि सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजि सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर।
- उपशासन सचिव—प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

सम्बन्धित विद्यालय/सचिव लिटिल फ्लोवर स्कूल, शेखावाटी कॉलोनी -पुरु।

उप निदेशक (माध्यमिक)